क्रमाँक–46

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग – दो

सोमवार, दिनाँक 15 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 24, 1946)

कार्यमंत्रणा समिति/सामान्य प्रयोजन समिति में रिक्त हुए एक स्थान तथा नाम–निर्दिष्ट किये गये एक सदस्य की सूचना

छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203 के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2024 को कार्यमंत्रणा समिति तथा नियमावली के नियम 234–(1) के अनुसार सामान्य प्रयोजन समिति के वर्ष 2023–2024 की शेष अवधि तथा वर्ष 2024–25 की अवधि हेतु सेवा करने के लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री बृजमोहन अग्रवाल को नाम–निर्दिष्ट किया गया था।

माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य द्वारा दिनाँक 17 जून, 2024 को छत्तीसगढ़ विधान सभा की सदस्यता से त्याग–पत्र दिये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति एवं सामान्य प्रयोजन समिति में एक स्थान रिक्त हो गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री को वर्ष 2024–25 की अवधि हेतु सेवा करने के लिए कार्यमंत्रणा समिति एवं सामान्य प्रयोजन समिति में रिक्त हुए स्थान पर नाम–निर्दिष्ट किया गया है।

दिनेश शर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा